कार्यालय कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अर्जन कार्यालय, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर)

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा

पत्रांकः 2260 /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 11 /12/2019

1-सम्पादक,
दैनिक जागरण,
जिला गौतमबुद्धनगर।

2-सम्पादक,
अमर उजाला,
जिला गौतमबुद्धनगर।

जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित नोएडा ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर, के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के स्थापन क्षेत्र के रूप में राजस्व ग्राम जेवर बांगर, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर की 48.0970 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) हेतु गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय को शासन द्वारा एजेन्सी नामित किया गया था। एजेंसी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिस पर लोक सुनवाई की जानी है।

अतः ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना पर लोक सुनवाई की सार्वजनिक सूचना का प्रारूप आपको पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्रभावित क्षेत्र(जेवर) में प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें और प्रकाशन का व्यय सरकारी दरों पर निर्धारण करते हुऐ व्यय की धनराशि का बिल भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध करा दे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(बलराम सिंह)
कलेक्टर(भू0/अ0)
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः-

1-जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से कि सार्वजनिक सूचना को जनपद की वेवसाईट पर जेवर नामक पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

2-उप जिलाधिकारी, जेवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3-तहसीलदार, जेवर, का इस निर्देश के साथ कि सुनवाई हेतु नियत तिथि एंव स्थान पर उचित व्यवस्था कराने, विडियोग्राफी की व्यवस्था करने एवं सार्वजनिक सूचना की प्रत्येक ग्राम में मुनादी कराने और मुनादी की विडियों रिकार्डिग भी कराना सुनिश्चित करें

4-श्री अनवर, कार्यालय चपरासी, भूमि अध्याप्ति इकाई को इस निर्देश के साथ कि सार्वजनिक सूचना की प्रतियां प्रत्येक ग्राम की नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/जिला कलैक्ट/उपजिलाधिकारी/ तहसील जेवर के नोटिस बोर्ड, भूमि अध्याप्ति कार्यालय के नोटिस बोर्ड एंव कलैक्ट्रट नजारत नोटिस बोर्ड तथा प्रभावित क्षेत्र में किसी सदृश्य स्थान पर चस्पा कर फोटोग्राफ लेते हुए तामिल रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें।

11/12/19

कलेक्टर(भू0/अ0)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अर्जन कार्यालय, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर)

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा

ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधक योजना पर लोक सुनवाई की सार्वजनिक सूचना

जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित नोएडा ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के स्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित राजस्व ग्राम जेवर बांगर, परगना व तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर की 48.0970 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) हेतु गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय को शासन द्वारा एजेन्सी नामित किया गया था। नामित एजेंसी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेखित किया गया है कि कुल 150 परिवार प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित होगें,रिपोर्ट में सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित भूमि के अर्जन की प्रक्रिया को आगे बढाने का उल्लेख है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-5 व नियमावली-2016 के नियम-7(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना पर लोक सुनवाई किया जाना प्रावधानित है।

लोक सुनवाई हेतु तिथि, समय एवं स्थान निम्नवत है-

क0स0	ग्राम का नाम/प्रभावित क्षेत्र का नाम	प्रभावित क्षेत्र का अर्जित क्षेत्रफल है0 में	लोक सुनवाई की तिथि	लोक सुनवाई का समय	स्थान
1	2	3	4	5	6
1	जेवर बांगर	48.097	19.12.2019	11.00 प्रातः	प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर बांगर परगना व तहसील जेवर जिला गौतमबुद्धनगर

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार नियत स्थान व समय पर लोक सुनवाई में सहभागिता कर उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना पर अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें, साथ ही साथ यह भी सूचित किया जाता है कि ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना का प्रारूप जन सामान्य के निरीक्षण हेतु ग्राम प्रधान जेवर बांगर के पास व उपजिलाधिकारी जेवर के तहसील कार्यालय जेवर एंव कलेक्टर(भू0अ0) के कार्यालय, एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर में प्रकाशित है।

कलेक्टर(भू0/अ0)
गौतमबुद्धनगर।